सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33/13 **निर्णय दिनांकः 30.05.2019**

1. रूपाराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी रामनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1.	आदूराम	पिसरान रूघाराम जाति मेघवाल साकिन लाखनसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2.	दुलाराम	
3.	कुशलाराम	
4.	उदाराम	
5.	अर्जनराम	
6.	रामकरण	
7.	सोहनलाल	

8. श्रीमती तीजा बेवा स्व. रूघाराम
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15–10–2001
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के आदेश दिनांक 15–10–2001 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का वादपत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में साया होने पर अपीलांट द्वारा सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को दिनांक 23—03—2000 को चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर खातेदारी सनद् प्राप्त की जा चुकी है। उक्त तमाम तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट व कब्जे काश्त के तथ्य को ध्यान में रखते हुए एकतरफा तौर पर अपीलांट का वादपत्र स्वीकार करते हुए रकबा राजपत्र से निकालने हेतु जिला कलेक्टर, बीकानेर के मार्फत राज्य सरकार को लिखे जाने के आदेश प्रदान किये है, जिससे व्यथति होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 2 एल. के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 23—03—2000 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया गया। जिसके पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है जिसका इंतकाल संख्या 54 दिनांक 20—09—2001 दर्ज किया गया एवं अपीलांट के हक में खातदारी सनद् जरिये पुस्तक संख्या 4 क्रम संख्या 33 दिनांक 17—01—2011 जारी की जा चुकी है। उक्त तमाम तथ्य रेस्पोडेन्ट की जानकारी में होने पर भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् आदेश दिनांक 14—09—2001 पारित किये जाने व उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उक्त आदेश के विपरीत अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—10—2001 पारित करते हुए अपीलांट को विशेष आवंटन में आवंटित भूमि को जरिये जिला कलेक्टर राजपत्र से निकालने की सिफारिश करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं आदेश जैर अपील में माना है कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एल.केक.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा भूमि बाबत् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन आदेश है जो निर्णय होने पर आवश्यक अमलदरामद किया जावे। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त भूमि के बाबत् उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी था तो अधीनस्थ न्यायालय को आराजी जैर के संबंध में अंतिम निर्णय तक इंतजार किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् न्यायालय हाजा का स्थगन होने की जानकारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटितशुदा व खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार बनाये बिना यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि पक्षकारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर निरन्तर विवाद चलता आ रहा है। उक्त स्थिति से रेस्पोडेन्ट व अधीनस्थ न्यायालय भलीभांति परिचित थे फिर भी रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। यदि रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार बनाया जाता तो ऐसी स्थिति में तमाम तथ्य स्वमेव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ जाते। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण का कृत्य कानून को अंधेरें में रखकर आदेश प्राप्त किये जाने का साबित होता है। प्रकरण में तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन थी तथा कालान्तर में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी अपीलांट को प्राप्त हो चुके है लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के पति/पिता को ग्राम राणेर के खसरा नम्बर 979 की 74 बीघा बारानी भूमि का आवंटन बतौर एमएफएफआर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर कैम्प लूणकरनसर ने दिनांक 19—02—1986 को किया गया था। उक्त भूमि आवंटन पश्चात् से ही रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता व उनके स्वर्गवास के उपरान्त रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण को वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है। उक्त रकबा खसरा नम्बर 979 चकबन्दी आने पर चक नम्बर 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/8 के किला नम्बर 6, 13 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/24 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/15 के किला नम्बर 14 ता 25 में 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/23 के किला नम्बर 6 ता 15, 17 ता 23 में 17 बीघा इस प्रकार कुल 74 बीघा अनकमाण्ड भूमि के रूप में पैमूद हुई। दौराने चकबन्दी राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया जाकर आराजी जैर को रकबा राज दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। जिसमें पहली तनकी कायम की गई कि क्या वादीगण के नाम से गांव राणेर की रोही में खसरा नम्बर 979 में 74 बीघा खातेदारी भूमि है? दूसरी तनकी कायम की गई कि क्या उक्त भूमि खसरा नम्बर 979 की 74 बीघा भूमि चक 2 एल.के.एसए.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/8, 154/16, 154/15, 154/23, 154/24 में फिट हुई है? तीसरी तनकी कायम की गई कि कया वादगण का मौके पर चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/8, 154/16, 154/15, 154/23, 154/24 पर कब्जा है? चौथी तनकी कायम की गई कि क्या चक 2 एल.के.एस.एम.

के मुरब्बा नम्बर 154/8, 154/16, 154/15, 154/23, 154/24 खसरा नम्बर 979 से बने है अथवा अन्य खसरे अथवा खसरों से बने है? इन तमाम तनकियों को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा तनकी संख्या एक के समर्थन में आवंटन आदेश प्रस्तुत किये जाने पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। इसी क्रम में तनकी संख्या 2 के संबंध में सूची नम्बर 4 व पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर व तहसीलदार द्वारा धारा 22 के नोटिस के पश्चात् उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में साबित की गई।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में कायम की गई तनकी संख्या 3 जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के कब्जे काश्त का निर्धारण किया जाना था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्टेट/प्रतिवादी द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में साबित की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित होने व कब्जे काश्त में होने के आधार पर चक 2 एल.के.एस. एम. के मुरब्बा नम्बर 154/8 के किला नम्बर 6, 13 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/15 के किला नम्बर 14 ता 25 में 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/23 के किला नम्बर 6 ता 15, 17 ता 23 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/24 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 49 बीघा अनकमाण्ड का खातेदार धोषित किया गया तथा मुरब्बा नम्बर 154/15 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के बाबत् न्यायाल राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर से वादीगण के पक्ष में स्थगन आदेश है जो निर्णय होने पर आवश्यक अमलदरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है तथा साथ ही रकबा राजपत्र से निकालने हेतु जिला कलेक्टर बीकानेर के मार्फत से राज्य सरकार को लिखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट् के वादगत् भूमि पर हक व हकूकों का प्रश्न है अपीलांट का आवंटन विभिन्न न्यायालय स्तरों पर जैरकार व निर्णित किया जा चुका है, तथा आज दिनांक तक अपीलांट अपने आवंटन बहाली को लेकर संघर्षरत है। ऐसी स्थिति में आज दिनांक को अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार सुरक्षित नहीं है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य व पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, सूची नम्बर 4 के अवलोकन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स को खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—10—2001 के विरूद्व अपील दिनांक 17—04—2013 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील हैं अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ—साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने व उनके कब्जे काश्त में होने का कथन दौराने बहस किया गया है। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलांट्/रेस्पाडेन्ट्स के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् निरन्तर विवाद चलता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट् के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अपील/वाद दायर करते हुए आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही की जाती है व इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट्स द्वारा भी अपीलांट्स को आवंटित/खातेदारी भूमि में से चक 2 एल.के.एस.एम के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि को निरस्त कराने हेतु न्यायालय की शरण ली जाती रही है। इस संबंध में न्यायालयों द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन के संबंध में अपना मत भिन्न—भिन्न रूप से व्यक्त किया गया है।

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के बाबत् पूर्व में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद व निर्णयों के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के संबंध में अपना मत व्यक्त व उक्त निर्णय को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित पाते है। प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वर्ष 1986

से आवंटित होने तथा आवंटन पश्चात् से ही उनके कब्जे काश्त में होने के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर परीक्षण न्यायालय द्वारा नियमानुसार वादपत्र के निस्तारण से पूर्व तनकीयात् कायम की गई व उक्त तनकीयात् का दस्तावेजी साक्ष्य, मौके पर कब्जे काश्त, सूची नम्बर 4, पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स के हक व हकूक साबित होन पर चक 2 एल.के.एस.एम.के मुरब्बा नम्बर 154/8 के किला नम्बर 6, 13 ता 18, 23 ता 25 में 10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/15 के किला नम्बर 14 ता 25 में 12 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/23 के किला नम्बर 6 ता 15, 17 ता 23 में 17 बीघा, मुरब्बा नम्बर 154/24 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 49 बीघा अनकमाण्ड का खातेदार धोषित किया गया है। प्रकरण में जहॉ तक विवाद का प्रश्न है चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि को लेकर है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर से वादीगण के पक्ष में स्थगन आदेश है जो निर्णय होने पर आवश्यक अमलदरामद किया जावे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वमेव एक प्रतिबन्धित/सशर्त आदेश है तथा उक्त आदेश न्यायालय हाजा के समक्ष जैरकार वाद के अध्ययधीन लागू होना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि को राजस्थान राजपत्र से बाहर निकालने का प्रश्न है उक्त कार्यवाही एक भिन्न प्रकृति की कार्यवाही है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 15—10—2001 यथावत बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर